पटना में दिनांक–14 अक्टूबर, 2016 शुक्रवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णण लिये गये :–

	ग्रामीण विकास विभाग		
1.	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में सहायक अनुदान के रूप में कर्णांकित बजट उपबंध 31018.27 लाख (तीन अरब दस करोड़ अठारह लाख सत्ताईस हजार) रूपये में से केन्द्र से प्राप्त केन्द्रांश के विरूद्ध देय आनुपातिक सहायक अनुदान 7833.33 लाख (अठ्ठहत्तर करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार) रूपये विमुक्ति उपरांत अवशेष राशि कुल 23184.94 लाख (दो अरब इक्कतीस करोड़ चौरासी लाख चौरानवे हजार) रूपये एक मुश्त अग्रिम निकासी के संबंध में।	1.	**स्वीकृत।**
	गन्ना उद्योग विभाग		
2.	गन्ना उद्योग विभाग अराजपत्रित संवर्ग के (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2016 (गन्ना उद्योग विभाग) के गठन की स्वीकृति।	2.	**स्वीकृत।**
	गन्ना उद्योग विभाग		
3.	बिहार ईख सेवा (भर्ती और सेवा–शर्त्ते) नियमावली, 2016 (गन्ना उद्योग विभाग) के गठन की स्वीकृति।	3.	**स्वीकृत।**
	जल संसाधन विभाग		
4.	बाढ़ अवधि (15 जून से 15 अक्टूबर) में आपातकालीन स्थिति में नामांकण के आधार पर प्रत्येक प्रमंडल के लिये कराये जाने वाले बाढ़ संघर्षात्मक कार्य की स्वीकृति प्रदान करने की विशेष शक्ति प्रदत्त करने के संबंध में।	4.	**वापस लिया गया।**
	जल संसाधन विभाग		
5.	बाढ़ अवधि (15 जून से 15 अक्टूबर) में आपातकालीन स्थिति में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के क्रय की स्वीकृति प्रदान करने हेतु विशेष शक्ति प्रदत्त करने के संबंध में।	5.	**वापस लिया गया।**
	भवन निर्माण विभाग		
6.	भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के निरीक्षण एवं गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली हेतु राज्य स्तरीय गुणवत्ता अनुश्रवक (STATE QUALITY MONITOR) की व्यवस्था करने के संबंध में।	6.	**स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7.	कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती अंचल के मौजा–दहियाँव, थाना नं०–109, खाता सं०–149, खेसरा सं०–431, 427, 253, 476 एवं 187, रकबा क्रमशः 0.03 0.0075, 0.08, 0.08 एवं 0.02 एकड़ कुल रकवा–0.2175 एकड़ तथा मौजा–सारंगपुर, थाना नं०–117, खाता सं०–175, खेसरा सं०–165 एवं 218, रकवा क्रमशः 0.04 एवं 0.05 एकड़ कुल रकवा–0.09 एकड़ अर्थात कुल 0.3075 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार किस्म पुरानी परती/भीठ/बोरिंग/धनहर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 02 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को **as is where is** के आधार पर निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

8.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कार्यपालक अभियंता (असैनिक) वेतनमान् ₹ 15,600–39,100+ग्रेड वेतन ₹ 6600/– से अधीक्षण अभिंयता (असैनिक) वेतनमान् ₹ 37,400–67,000+ग्रेड वेतन ₹ 8700/–के पद पर प्रोन्नति।	8.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

9.	बिहार पेंशन नियमावली, 1950 में नया नियम–169(क) जोड़े जाने के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

10.	सीतामढ़ी जिला में स्थापित सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतामढ़ी के लिए प्रस्तावित भवनों के निर्माण कार्यों का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू० 92.71 करोड़ (बानवे करोड़ एकहत्तर लाख रूपये) मात्र को रद्द कर नयी योजना के रूप में रू० 73.13 करोड़ (तीहत्तर करोड़ तेरह लाख रूपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

11.	विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता, प्रोग्रामर, कर्मप्रमुख प्रयोगशाला सहायक, अनुदेशक एवं लिपिक के लिए समिति द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित मासिक मानदेय की स्वीकृति के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

12. बेगूसराय जिला में स्थापित राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय के लिए प्रस्तावित भवनों के निर्माण कार्यों का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू० 85.49 करोड़ (पचासी करोड़ उनचास लाख रूपये) मात्र को रद्द कर नयी योजना के रूप में रू० 73.13 करोड़ (तीहतर करोड़ तेरह लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

13. विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में रिक्त पदों के विरूद्ध अनुबंध के आधार पर कार्यरत 289 (दो सौ नवासी) गैर–शैक्षणिक कर्मियों (तकनीकी सहायकों, अनुदेशकों एवं अन्य) को उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने अथवा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक, जो पहले हो, तक के लिए पुनर्नियोजन की स्वीकृति के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

14. किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के विशनपुर बाजार में ओ०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 14 (चौदह) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

15. डा0 महेश प्रसाद, तत्कालीन सिविल सर्जन, औरंगाबाद संप्रति क्षेत्रीय उप–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विरूद्ध अनिवार्य सेवानिवृति का दण्ड अधिरोपित करने का प्रस्ताव। — 15. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

16. डा0 अशोक कुमार पासवान, सेवानिवृत्त, जीवाणुविद, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना को आवश्यकता आधारित पद के वेतनमान 14300–18300/-- रूपये में दिनांक– 01.03.2004 के प्रभाव से प्रोन्नति हेतु लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना में दिनांक–01.03.2004 से 30.06.2007 (सेवा निवृत्ति) तक 01 (एक) मात्र छाया पद सृजन की स्वीकृति। — 16. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

17.	त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान ₹ 5,00,000.00 (पांच लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति के संबंध में।	17.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

18.	लोअर नून नदी के दायें तटबंध के वि0दू0 500.50 से वि0दू0 589.00 तक एवं खमैत झील के दायाँ लिंक चैनेल तटबंध के वि0दू0 0.00 से 33.00 तक तटबंध का सुदृढ़ीकरण एवं शीर्ष पर बिटूमिनस सड़क का निर्माण कार्य (प्राक्कलित राशि 5893.60 लाख रू0) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।	18.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

19.	राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 531 (332 + 199) संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 1,50,00,00,000/-(एक अरब पचास करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान में से शेष 1,15,00,00,000/- (एक अरब पन्द्रह करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।	19.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय राज्यादेश सं०-657(6)/रा०, दिनांक-03.07.2012 द्वारा विभिन्न खेसरों की कुल-15.56175 एकड़ भूमि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने के राज्यादेश (परिशिष्ट-1) को निरस्त करते हुए पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा-सैदपुर मुसल्लह, थाना नं०-03, वार्ड नं०-15 के विभिन्न म्युनिसिपल खेसरों की कुल-20.4838 एकड़ शैक्षणिक एवं अन्य उद्देश्यों के लिए अधिघोषणा संख्या-B/L.P.11.124/156, 12187R, दिनांक-21.11.1956 से अर्जित कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार की भूमि डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईन्स सिटी के निर्माण हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।	20.	स्वीकृत।